आदेशिका पूर्ति   1 URN न्यायालय

नामान्तरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाराँ जिला–बाराँ

22/10/12

आज्ञा–पत्र

उनवान

रामचरण आदि बनाम श्री भैरो गोपाल आदि

नम्बर मुकदमा 136 URN पि.नं० 2012/11 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता० अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/8/11	रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी को तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 18/10/11 पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बाराँ	18/10/11 23/7
18/10/11	पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने से पूर्ववत दिनांक 29/11/11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर	29/11 24/5/12
29/11/11	पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने से पूर्ववत दिनांक 13/12/11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर	13/12 19/11 10/12
13/12/11	वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी 1 ता 3 उप. नहीं उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी नं. 4 की ओर से व प्रार्थी 6 की ओर से वकील पेश हुए वकालतनामा प्रार्थी की पेशकर्ता गई। प्रार्थी 5 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। जवाब हेतु पत्रावली दि. 3/1/12 पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	3/1/12 20/1/13
3/1/12	पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने से पूर्ववत दिनांक 10/1/12 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	10/1/12 25/2
		25/1/12 25/3
		7/2/12
		28/2 29/4
		27/3 10/6
		24/4 8/7
		22/5 5/8/14
		3/7 24/9/14
		9/9/14
		7/8 21/10/14
		28/8/12 29/10/14
		18/9/12
		9/10/12
		30/10/12
		20/11/12
		4/12/12
		18/12
		8/1/13
		11/2
		5/3
		2/4
		9/4/13
		30/4
		7/5
		21/5
		28/5
		27/8

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां

उनवान

रामरतन वगे0 बनाम श्रीमति मोहनी वगे0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D012/11 दायरा तिथि :– 18.08.2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा – कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा। निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बारॉं	